



संख्या: 1/27074/2025GMIROMDCL(2)/12/2024 Comp-9394 दिनांक 04-10-2025

कार्यालय जाप

30प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा अपने सेवारत/सेवानिवृत्त कर्मचारियों/अधिकारियों एवम् उन पर पूर्णतः आश्रित परिजनों तथा पारिवारिक पेंशनरों को कारपोरेशन के कार्यालय जाप सं०-2318-औसं०-17/पाकालि/2020-11(12) ए०एस०/ 06 दिनांक 25.08.2020 द्वारा मेदान्ता हॉस्पिटल, लखनऊ को सी०जी० एच०एस०-2014 की दरों पर केवल कार्डियोलॉजी, कार्डिक सर्जरी, ऑर्थोपेडिक ज्वाइंट रिप्लेसमेंट-TKR/THR Only एवं आंकोलॉजी सम्बन्धी बिमारी हेतु मान्यता प्रदान की गई थी। उक्त के अनुक्रम में चिकित्सालय द्वारा किये गये आवेदन एवं उपलब्ध कराये गये वांछित प्रपत्र के दृष्टिगत उक्त बिमारियों के साथ ही अन्य सभी Super Specialty उपचारों/सामान्य उपचारों हेतु कारपोरेशन द्वारा निर्धारित सी०जी०एच०एस०-2014 की मानक दरों पर एतद्वारा मेदान्ता लखनऊ (Unit of Global Health Limited) सेक्टर-ए, पॉकेट-1, सुशान्त गौल्फ सिटी, अमर शहीद पथ, लखनऊ को दिनांक 30.04.2026 तक के लिए कारपोरेशन की मान्यता प्रदान की जाती है।

उपर्युक्त चिकित्सालय में भर्ती के दौरान हुए चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति पूर्ववर्ती परिषद के आदेश संख्या-2088-एन०जी०-2/एस०ई०बी०(चार)29-एन०जी०-2/78, दिनांक 24.05.78 एवं आदेश सं०-3330-औसं/2018-11(28) ए०एस०/2004 (Vol-2015/CGHS) दिनांक 08 अगस्त, 2018 एवं अन्य पुनरीक्षित आदेशों में निहित प्राविधानों एवं शर्तों के अधीन अनुमन्य होगी।

1. चिकित्सालय को जिले के पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा निर्गत वैध पंजीयन प्रमाण-पत्र यदि उनको प्रदान की गयी मान्यता अवधि से पूर्व समाप्त हो जाता है, या समाप्त कर दिया जाता है तो, उस चिकित्सालय की मान्यता उस दिनांक से स्वतः समाप्त हो जायेगी।
2. चिकित्सालय को विभाग द्वारा अनुमोदित दरों के अतिरिक्त अन्य कोई चार्ज देय न होंगे। किसी भी प्रकार का परामर्श शुल्क देय न होगा।
3. चिकित्सालय परिसर में एक साइन बोर्ड लगाना होगा जो यह दर्शायेगा कि "30प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा दिनांक 30.04.2026 तक के लिए मान्यता प्राप्त चिकित्सालय"।
4. चिकित्सालय को 30प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड का एक रजिस्टर अलग से रखना होगा और हर 15 दिनों में निम्नलिखित सूचना कारपोरेशन को भेजनी होगी:-

- (क) रोगी का नाम/पदनाम/वेतनमान/नियुक्ति स्थान/आयु एवं लिंग।
- (ख) पूर्णतः आश्रित होने की दशा में रोगी का कर्मिक से सम्बन्ध।

- (ग) अस्पताल में भर्ती होने एवं डिस्चार्ज होने की तिथि।
 (घ) कार्मिक का वेतनमान।
 (ङ) रोग का नाम (डाइग्नोसिस)।
 (च) कुल चार्ज की गयी धनराशि।

5. चिकित्सालय अन्तः रोगी के रूप में कराये गये उपचार के साथ-साथ बाह्य रोगी के रूप में गम्भीर रोगों हेतु लम्बी अवधि तक चलने वाली बीमारियों का उपचार कराने हेतु भी मान्य होगा। बाह्य रोगी के रूप में कराये गये उपचार के सम्बन्ध में कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप सं०-2335-औ०सं०-17/पाकालि/2020 दिनांक 27.08.2020 द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तें यथावत् रहेंगी।

6. उक्त चिकित्सालय उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० के साथ-साथ उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०/उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि० एवं उ०प्र० जल विद्युत निगम लि० के कार्मिकों/पेन्शनरों एवं उन पर पूर्णतः आश्रित परिजनों के उपचार कराने हेतु भी अधिकृत होगा।

7. चिकित्सालय प्रबन्धन को यह वचन पत्र देना होगा कि वह CGHS-2014 की मानक दरों एवं पुनरक्षित दरों पर उपचार करने हेतु सहमत है।

8. यदि चिकित्सालय द्वारा अनिवार्य रूप से भोजन दिया जाता है तो चिकित्सालय के बीजकों में भोजन के मद हेतु रु० 50/- प्रतिदिन की कटौती कर ली जाएगी।

9. कारपोरेशन के प्रबन्धन को यह अधिकार होगा कि चिकित्सालय द्वारा विभागीय नियमों, प्रतिबन्धों/शर्तों का उल्लंघन करने, विभाग द्वारा निर्धारित चिकित्सा दरों से विचलित होने अथवा विभाग द्वारा निर्धारित मानकों/मापदण्डों से अनावरित पाये जाने की दशा में चिकित्सालय की मान्यता समाप्त करने का निर्णय लिया जा सकता है।

निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०)

संख्या:-1/27074/20251) औसं-17/पाकालि/2024-तद्दिनांक:-
 प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अध्यक्ष, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०/उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०/उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ/एस०एल०डी०सी० लि०, विभूति खण्ड-2, गोमती नगर, लखनऊ के निजी सचिव।
3. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन)/(वितरण)/(वित्त),(वाणिज्य)/(कारपोरेट प्लानिंग) उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
4. निदेशक (कार्मिक प्रबन्ध), उ०प्र० पावर ट्रांसको/उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
5. प्रबन्ध निदेशक, विद्युत वितरण निगम लि०, मध्यांचल, लखनऊ/पूर्वांचल/वाराणसी/पश्चिमांचल/मेरठ/दक्षिणांचल, आगरा एवं केस्को, कानपुर।
6. अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग/जांच समिति-प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
7. महाप्रबन्धक (का० एवं प्रशा०), उ०प्र० जल विद्युत निगम लि०, 12वां तल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
8. मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।

9. समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण/पारेषण) को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेशित कि वे अपने स्तर से उक्त आदेश की प्रति अपने अधीनस्थ सभी सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशाली अभियन्ता को उपलब्ध करा दें।
10. महाप्रबन्धक (औसत)/उप महाप्रबन्धक (औसत)/कार्मिक अधिकारी, 30प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
11. समस्त अपर सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अनु सचिव/मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक (लेखा/वित्त/प्रशासन/कारपोरेट टैक्स), उप-मुख्य एवं वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), 30प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
12. महाप्रबन्धक (चिकित्सा)/मुख्य चिकित्साधिकारी, 30प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
13. समस्त अनुभाग अधिकारी/निजी सचिव, प्रशासनिक एवं लेखा स्कन्ध, 30प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
14. कम्पनी सचिव, पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
15. अधिशाली अभियन्ता (वेब), कक्ष सं0-407, शक्ति भवन विस्तार को कारपोरेशन की वेबसाइट-www.uppcl.org-medical पर अपलोड करने हेतु
16. जिला पंजीकरण प्राधिकारी, लखनऊ।
17. प्रबन्धक, मेदान्ता लखनऊ (Unit of Global Health Limited) सेक्टर-ए, पॉकेट-1, सुशान्त गोल्फ सिटी, अमर शहीद पथ, लखनऊ
18. कट फाइल।

भवदीय,

[Handwritten Signature]

(लोकेन्द्र सिंह)

वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी